

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या —
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।

*Recommended
for approval.*

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों को सुस्पष्ट
समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी
जाय।)

तिथि 27-4-2017
स्थान.....

वाईएसके शिवकुमार
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
हस्ताक्षर, लखनऊ।
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर